

अतिआवश्यक सूचना

प्रत्येक परीक्षा केन्द्रों के केंद्राध्यक्षों को सूचित किया जाता है कि वर्तमान में संचालित ए.एन.एम./जी.एन.एम. परीक्षा के प्रश्न पत्रों की छात्र-छात्राओं को उनके पाठ्यक्रम एवं वर्षवार जांच कर ही प्रदाय करें । प्रत्येक इनविजिलेटर को सूचित करें कि प्रश्न पत्र गलत दिये जाने पर उनके विरुद्ध कार्यवाही की जावेगी । छात्र-छात्राओं को भी परीक्षा के पूर्व सूचित करें कि प्रश्न पत्र गलत पाये जाने पर इसकी सूचना केंद्राध्यक्ष/सुपरवाइज़र या इनविजिलेटर को तुरंत देवें । गलत प्रश्न पत्र को हल करने के बाद परीक्षा समाप्ति के पश्चात् यदि कोई छात्र-छात्रा प्रश्न पत्र गलत दिये जाने की शिकायत करता है तो वह स्वयं उत्तरदायित्व होगा तथा उसको परीक्षा से 3 वर्ष तक वंचित रखा जावेगा ।

केन्द्राध्यक्ष एवं सुपरवाइज़र स्वयं प्रत्येक परीक्षार्थी का प्रश्न पत्र प्रवेश पत्रों से मिलान करके ही परीक्षा प्रारंभ करवायें । इसके पश्चात् भी परीक्षा में गड़बड़ी पाये जाने पर संबंधित के विरुद्ध कार्यवाही की जावेगी ।

उक्त सूचना प्रत्येक परीक्षा केन्द्र के क्लासरूम के बाहर सूचना पटल पर चस्पा करें ।

आदेशानुसार,

रजिस्ट्रार, नर्सिंग कौंसिल